PRICE "LESS" FASHION

10th July, 2019

Ref. No. CS/S/L-353/2019-20

To:	To:
The Listing Department **NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED** "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051 **Scrip Code: VMART** Fax: 022-26598120 Email: cmlist@nse.co.in	The Corporate Relationship Department **BSE LIMITED** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001 **Scrip code: 534976** Fax: 022-22723121 Email: corp.relations@bseindia.com

Sub: Copy of newspaper notice for AGM, E-Voting Information & Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copies of the newspaper notices as published on 9th July, 2019 in Business Standard, English (All editions) and Business Standard, Hindi (All edition) newspapers, in relation to the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on 2nd August, 2019, E-voting information and intimation of Book closure for the purpose of Annual General Meeting and dividend.

We also wish to inform you that in relation to the AGM of the Company, the E- Voting period shall commence on 30th July, 2019 at 9:00 a.m. & ends on 1st August, 2019 at 5:00 p.m.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For V-Mart Retail Limited

V-MART RETAIL LTD

Authorized signatory

Encl: As above

V-MART RETAIL LTD.

CIN- L51909DL2002PLC163727

Corporate Office : Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area Phase V, Gurgaon - 122 016 (Haryana)
Tel. : 0124-4640030, Fax No. : 0124-4640046 Email : info@vmart.co.in Website : www.vmart.co.in
Registered Office : 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi - 110092

Interest cost may force Voda Idea to raise funds

SOHINI DAS & RAM PRASAD SAHU
Mumbai, 8 July

IN NUMBERS

Shortfall in Ebitda could necessitate fundraising again

■ FY20e ■ FY21e ■ FY22e (₹ cr)

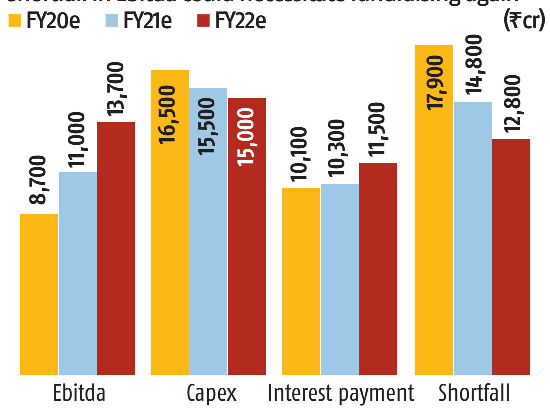

The country's largest telecom operator — Vodafone Idea — may need to raise funds at regular intervals to meet the rising interest payments, feel analysts.

In addition, there will also be outgo related to capital expenditure or capex.

Maybank Kim Eng analyst Neerav Dalal noted that with the increasing interest payments, the company would need to raise funds through equity at regular intervals. "We forecast that net debt will increase to ₹1.4 trillion for FY22 (estimates) from ₹1.2 trillion in FY19," Dalal noted.

Vodafone Idea still has its Indus Tower stake, currently valued at ₹6,160 crore. This can be monetised as well as the fibre assets (currently valued at ₹11,850 crore), which has been carved out into a separate subsidiary. Factoring in these two aspects, analysts feel that net debt to earning before interest, tax, depreciation and amortisation (Ebitda) could fall to 8.9-11X in FY 20-22 (estimates) from the current 10.6-13.4X. This still remains high against Bharti Airtel's 2.3-3X.

Analysts feel that the fibre assets (and also some of the debt) could be parked in an infrastructure investment fund (InvIT) in order to monetise it.

Earlier in June, Vodafone Idea's shareholders and creditors approved a proposal to transfer the fibre assets to its wholly-owned subsidiary Vodafone Towers Limited. In April, it had sought approval from the National Company Law Tribunal (NCLT), Ahmedabad, for transfer of its telecom fibre infrastructure to Vodafone Towers. A Vodafone Idea spokesperson noted, "As we are in the quiet period preceding our Q1FY20 financial results announcement, we are unable to respond in detail." Vodafone Idea said, "There is no plan for raising any further capital. Action has been initiated for transferring the fibre assets to a fully-owned subsidiary."

Vodafone Idea's FY19 Ebitda stood at ₹4043 crore. This, however, is expected to rise in the coming fiscal year as the synergy benefits from the merger set in. "We raised Ebitda margins by 60-180 bps to factor in faster-than-expected synergy cost savings from the Vodafone India merger. We earlier thought full synergies of ₹2,100 crore per quarter would only accrue in 4QFY21; We now bring this ahead to 1QFY21E, which raises our Ebitda by 8 per cent," Dalal noted.

The company has already integrated distributors, retailers, service stores and service centres of the two entities – Idea and Vodafone India. It has also unified networks across 10 service areas. Analysts note the Vodafone Idea management is confident of completing network integration by March 2020. "As of the fourth quarter, annualised synergies of ₹5,120 crore were ahead of our expectation. We now expect synergies of ₹8,400 crore by 1QFY21E earlier than the expectation of 4QFY21," Dalal said.

Vodafone-Idea's FY19 capex was ₹10,200 crore, which was less than half of the guidance of ₹27,000 crore capex for FY19-20 combined. Maybank Kim Eng thus notes that shortfall in Ebitda could necessitate fund raising again. According to its estimates, there would be a shortfall of ₹17,900 crore in FY20 when Vodafone-Idea's Ebitda is expected to be around ₹8700 crore. Maybank has factored in a capex of ₹16,500 crore and net interest payments of ₹10,100 crore.

In FY21, the interest payments is estimated to rise to ₹10,300 crore when the Ebitda is estimated to be around ₹11,000 crore and capex at ₹15,500 crore. By FY22, the net interest payments will rise to ₹11,500 crore. A telecom sector analyst pointed out that recently Vodafone-Idea's plea for moratorium from payment of spectrum dues was not accepted by the department of telecom. "Vodafone India alone had bought spectrum worth around ₹80,000 crore in the auctions. The merged entity also has the payment liability of Idea Cellular's spectrum worth ₹64,000 crore," he said.

Kumar Mangalam Birla had last year sought a two-year moratorium on annual spectrum payments given that the sector was under financial stress.

L&T tries to assuage worries as Mindtree shares take a plunge

Bengaluru firm lost close to a quarter of m-cap in last two trading sessions

DEBASIS MOHAPATRA
Bengaluru, 8 July

After Mindtree lost close to a quarter of its market capitalisation in two trading sessions, Larsen & Toubro (L&T) on Monday tried to calm the frayed nerves of the company's shareholders and employees, apart from its customers.

S N Subrahmanyan, chief executive officer (CEO) and managing director (MD) of the Mumbai-headquartered conglomerate, said that Mindtree would continue to run as an independent entity and there would be no alteration of positions at the Bengaluru-headquartered information technology (IT) services firm. "Mindtree will be run as a separate entity, distinct from L&T Infotech and L&T Technology Services. The entities would be run at an arm's length and it is inappropriate to speculate about the future structure now," Subrahmanyan said in an email reply to *Business Standard*.

"Continuity will be the key theme in the management transition. No position is sought to be disturbed at Mindtree, and no changes are contemplated right now," he said, adding that the appointment of the new CEO would be done in due course.

L&T CEO S N Subrahmanyan says the company stands for continuity, no alteration of position proposed

Mindtree shares have lost close to a quarter of their value in the last two trading sessions at stock exchanges. Shares of the IT services firm plunged 13 per cent on Monday alone after the company's co-founders Krishnakumar Natarajan, Parthasarathy N S, and Rostow Ravanan resigned from the board and executive roles late last week. "They will stay as board members till July 17 and as employees in line with their contracts to ensure smooth transition," Mindtree had said in an exchange filing on Friday. The founders had also asked the company to declassify them as promoters.

After the acquisition of 60.06 per cent in Mindtree, L&T has now been categorised as 'promoter' of the IT firm. Earlier, the company's board had approved the induction of L&T's CEO & MD, S N Subrahmanyan, and its Chief Financial Officer Ramamurthi Shankar Raman as directors.

With more than one week left to the next board meet scheduled on July 17, sources in the know said that there was a sense of uncertainty among the employees of Mindtree. Even, exit of a few second-rung leaders are not being ruled out in this transition phase. To assuage such concerns, apart from taking employees into confidence, L&T has started to work on a smooth transition with a concrete plan, sources added.

Allaying concerns of shareholders over cannibalisation of revenue, L&T said that the two companies were working on different verticals with minimum chances of client overlap. "L&T Infotech offers services to banking, insurance, manufacturing, oil and gas sectors, among others. Whereas Mindtree's clients are in consumer packaged goods, retail, travel and hospitality, and high-tech," said Subrahmanyan, adding, "These two firms operate in vastly different areas, with minimum client overlap. There is hardly any possibility of a direct conflict between the two entities."

SC agrees to hear govt plea against TDSAT order on Vodafone Idea

The Supreme Court on Monday agreed to hear a petition by the Centre challenging the Telecom Dispute Settlement Appellate Tribunal's (TDSAT's) order by which it had asked the Department of Telecommunications (DoT) to return bank guarantees worth nearly ₹2,100 crore to Vodafone Idea. The matter will be heard with other similar matters in which the government has asked bank guarantees from companies before approving their merger or sale to other telecom companies, the top court said. The DoT had asked Vodafone Idea the bank guarantee as one-time spectrum charges (OTSC) as a condition for approving the merger of the two firms. Though the companies had then given the bank guarantees, they had challenged the same before TDSAT. **AASHISH ARYAN**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank
www.bankofbaroda.in

REQUEST FOR PROPOSAL

Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai invites response for the Request for Proposal (RFP) for selection of vendor for empanelment of courier/ logistic companies dealing in courier services for distribution of Debit Cards - PAN India.

Details of RFP are available on Bank's website: **www.bankofbaroda.in** under 'Tenders' Section.

"Addendum", if any, shall be issued on Bank's website only and bidder should refer the same before final submission of this proposal.

Place: Mumbai
Date: 09.07.2019

Assistant General Manager
(Digital Banking Dept.)

39/19-20

Attention Taxpayers!

GST Return Filing Calendar

NORMAL TAXPAYERS

Return	Period	To be filed by	Last date to file
GSTR-3B	June, 2019	All Taxpayers	20th July, 2019
GSTR-1	April – June, 2019	Taxpayers with turnover below ₹ 1.5 Crore and not opted for Monthly Return	31st July, 2019
GSTR-1	June, 2019	Taxpayers with turnover above ₹ 1.5 Crore or opted for Monthly Return	11th July, 2019
GSTR-9	2017-2018	Annual Return	31st August, 2019
GSTR-9A	2017-2018	Annual Return to be filled by Composition Dealers	31st August, 2019
GSTR-9C	2017-2018	Reconciliation Statement to be filed by taxpayers with aggregate turnover exceeding ₹ 2 Crore between July, 2017 to March, 2018	31st August, 2019

OTHER TAXPAYERS

Return	Period	To be filed by	Last date to file
GSTR-5	June, 2019	Non-resident Taxpayers	20th July, 2019*
GSTR-5A	June, 2019	Non-resident OIDAR	20th July, 2019
GSTR-6	June, 2019	Input Service Distributors	13th July, 2019
GSTR-8	June, 2019	e-Commerce operators who are required to collect Tax at Source under GST	10th July, 2019

*or within 7 days after last date of validity period of registration, whichever is earlier.

In case, returns are not filed by the due dates, late fees are payable as indicated below:-

(a) Taxpayers whose tax liability for the concerned period is 'NIL'	₹ 20/- per day (Rs.10/- per day each under CGST & SGST Acts)
(b) For all other taxpayers [other than mentioned in (a)]	₹ 50/- per day (Rs.25/- per day each under CGST & SGST Acts)

FILE YOUR RETURNS WELL IN TIME TO AVOID LAST MINUTE RUSH.

Central Board of Indirect Taxes and Customs
www.cbic.gov.in

davp 15502/13/0004/1920

V-MART RETAIL LIMITED
(CIN - L51909DL2002PLC163727)

Regd. Off.- 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi – 110092.
Corporate Off. – Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase – V, Gurgaon – 122016 (Haryana).
Tel.: 0124-4640030; Fax : 0124-4640046; **Email:** info@vmart.co.in; **Website:** www.vmart.co.in;

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 2nd August, 2019 at 9.30 A.M. at India Islamic Cultural Center, 87-88 Lodhi Road, Near Lodhi Gardens, New Delhi-110003. The Company has dispatched the physical copies of the Notice of the meeting setting out the Ordinary and Special business to be transacted thereat, together with the Balance sheet as at 31st March 2019, Statement of profit & loss for the year ended on that date including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors, report on Corporate Governance to the members who have not registered their email address and also sent the same, through the electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote at AGM by electronic voting/e-voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting") for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 10th May, 2019. The Company has availed the remote e-voting services as provided by Karvy Fintech Private Limited (Karvy). The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mayank Vashist, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Tuesday, 30th July, 2019 (9.00 A.M) and ends on Thursday, 01st August, 2019, (5.00 P.M). The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is 25th July, 2019. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in Annual General Meeting. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on 28th June, 2019. The members who have acquired shares after the dispatch of notice of Annual General Meeting and holding shares as on cut-off date i. e. 25th July, 2019, may obtain the e-voting user id and password by sending a request at e-voting@karvy.com.

Members who have not received the Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company www.vmart.co.in

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any query /concern /grievances connected with voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting user manual available at the download section of http://evoting.karvy.com or contact the Karvy Fintech Private Limited at Tel No. 1800 345 4001 (toll free) or email at-evoting@karvy.com.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours on all working days (except Saturdays) upto the date of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the July 26, 2019 to Monday, the August 05, 2019 (both days inclusive) in connection with Annual General Meeting and for the purpose of Dividend, if approved at the ensuing AGM.

By order of the Board For V-Mart Retail Ltd.
Sd/- Megha Tandon (Company Secretary)
Membership No.: A35532

Place: Gurugram
Date: 08-07-2019

एआईएफ निवेशकों पर उच्च कर का प्रस्ताव

मगर जो रकम निकाल चुके उनका कर कौन चुकाएगा

ऐश्ली कुटिन्हो और सचिन मामबटा
मुंबई, 8 जुलाई

अमीरों के बीच विपणन वाले जटिल निवेश फंडों को अब ज्यादा कर चुकाना होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि इस साल के बजट में शामिल नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, लेकिन यह अस्पष्ट है कि उच्च कर का भार उन निवेशकों के मामले में कौन उठाएगा जो बजट की घोषणा से पहले अपना निवेश निकाल चुके हैं।

इस साल पेश आम बजट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए अधिभार में बढ़ोतरी का जिक्र है। कई वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) की संरचना एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की तरह है, जिसका मतलब यह हुआ कि उन्हें भी ज्यादा कर चुकाना होगा। ऐसी ही संरचना वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर पड़ने वाले असर के चलते एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स आज 792.82 अंक टूट गया। बेंचमार्क सूचकांक सोमवार को 2.01 फीसदी टूटकर 38,720.57 अंक पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की तरह एआईएफ की तीसरी श्रेणी पर भी यह लागू हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर कर की दर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगी।

ईवाई के पार्टनर सुब्रमण्यम कृष्णन ने कहा, अधिभार में बढ़ोतरी से निवेशकों के शुद्ध रिटर्न पर असर पड़ेगा क्योंकि फंड का एनएवी उच्च कर के चलते प्रभावित होगा। लंबी व अल्पावधि वाले फंड निवेशकों के बीच अपना आकर्षण खो सकते हैं क्योंकि निवेशकों के लिए सवाल यह है कि क्या उन्हें अन्य निवेश योजनाओं में बेहतरी मिलेगी जो इसके समान या बेहतर रिटर्न देते हैं।

एवेंडस कैपिटल मार्केट्स के उप-मुख्य कार्याधिकारी वैभव सांघवी ने तीसरी श्रेणी के वैकल्पिक निवेश फंड का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फंड पहले से ही कर के लिहाज से अलाभ की स्थिति में हैं और यह निवेशकों के रिटर्न के लिहाज से और प्रभाव डालेगा।

उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसके निहितार्थ पर विचार करेगी और इसका समाधान निकालेगी।

कर विशेषज्ञों ने कहा कि ये नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उस तारीख के बाद और बजट घोषणा से पहले इससे निवेश निकासी करने वाले निवेशकों के कर पर संदेह के बादल हैं।

डेलॉयट हस्किंस ऐंड सेल्स के पार्टनर राजेश एच गांधी ने कहा, यह उन निवेशकों पर सवालिया निशान लगा सकता है जो वित्त वर्ष शुरू होने के बाद और बजट घोषणा से पहले निवेश निकाल चुके हैं। ऐसे निवेशकों से अतिरिक्त ककर की वसूली चुनौतीपूर्ण होगी।

उन्होंने कहा, अगर निवेशक पहले सही निकल चुके हैं तो वे इसकी रिकवरी आसानी से नहीं कर सकते। वैकल्पिक निवेश फंड तीसरी श्रेणी में मार्च 2019 तक 30,801.8 करोड़ रुपये का निवेश था। यह मार्च 2015 के 1,528 करोड़ रुपये के मुकाबले 20 गुने से ज्यादा है।

एफपीआई अधिभार पर स्पष्टीकरण जल्द

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 8 जुलाई

भारत सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर अधिभार में बढ़ोतरी पर उनकी चिंता दूर कर सकती है और इस मसले पर जल्द स्पष्टीकरण जारी कर सकती है क्योंकि समझा जाता है कि इस कदम से म्युचुअल फंडों और पेंशन फंडों के जरिए होने वाले लंबी अवधि के निवेश पर असर पड़ सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली में एसोचैम के एक कार्यक्रम के बाद आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने कहा, यह मामला हमारे सामने लाया गया है। हम जल्द इस पर स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई उद्योग निकायों मसलन ऐसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय व सरकार के अन्य विभागों के पास अधिभार से छूट के लिए लॉबीइंग कर रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा, अगर सरकार एफपीआई को अधिभार से छूट देना चाहेगी तो उसे वित्त विधेयक में इस बाबत बदलाव करना होगा, साथ ही इसके कानून बनने से पहले पार्ट-2 की पहली अनुसूची में भी बदलाव करना होगा।

एक साल में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय अर्जित करने वाले फंड और जिसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) या ट्रस्ट के तौर पर संरचित किया गया है उस पर कर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगी। साथ ही 2 से 5 करोड़ रुपये के बीच आय अर्जित करने वाले फंडों पर कर की दर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगी।

बढ़े अधिभार से चिंतित हैं एफपीआई

- बढ़े अधिभार से एफपीआई को छूट दिलाने के लिए उद्योग निकाय मंत्रालय के पास लॉबीइंग कर रहा है
- सोमवार को सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि बोर्ड कर अधिभार एफपीआई की चिंता पर नजर डाल रहा है
- 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय अर्जित करने वाले फंडों पर कर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगा
- 2 से 5 करोड़ रुपये तक आय अर्जित करने वाले फंडों को 39 फीसदी की दर से कर देना होगा
- बढ़े अधिभार से एफपीआई हुए प्रभावित क्योंकि उन्हें ट्रस्ट या एओपी के तौर पर संरचित किया गया है
- लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर अब 14.25 फीसदी है
- अल्पावधि के पूंजीगत लाभ पर अब कर 21.37 फीसदी है

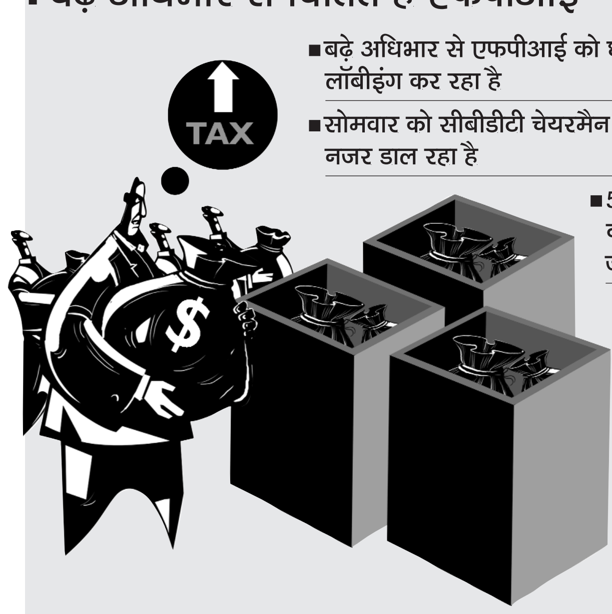

कर की उच्च दर गैर-कॉरपोरेट एफपीआई व फंडों पर लागू होगी। करीब 50 फीसदी एफपीआई गैर-कॉरपोरेट के तौर पर पंजीकृत है। अधिभार में बढ़ोतरी से काफी एफपीआई प्रभावित होंगे क्योंकि वे ट्रस्टों या एओपी के तौर पर संरचित किए गए हैं। ऐसे ढांचे न्यूनतम वैकल्पिक कर को टालने के लिए अपनाए गए हैं।

बजट में 2 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये की आय पर अधिभार मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से ऊपर की आय पर 15 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी करने का प्रस्ताव है।

एफपीआई की तरफ से चुकाए जाने वाले लंबी अवधि व अल्पावधि के पूंजीगत लाभ कर में बढ़ोतरी होगी। लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर पर प्रभावी दरें 14.25 फीसदी होंगी, जो अभी 11.96 फीसदी है। अल्पावधि वाले पूंजीगत लाभ कर की दर मौजूदा 17.94 फीसदी से बढ़कर 21.37 फीसदी हो जाएगी।

ईवाई के पार्टनर (कर व नियामकीय सेवाएं) तेजस देसाई ने कहा, अभी भी कॉरपोरेट व गैर-कॉरपोरेट के बीच अधिभार में अंतर है। चूंकि अधिभार का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं थी, लिहाजा यह चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अधिभार की दर 25 फीसदी व 37 फीसदी होने से अब यह परेशान करना शुरू कर दिया है।

देसाई ने कहा, वास्तव में कई विदेशी एमएफ व पेंशन फंड (जो अपने देश के छोटे निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबी अवधि की पूंजी निवेश करते हैं) गैर-कॉरपोरेट की तरह संगठित हैं और उच्च अधिभार से वह प्रभावित होंगे। अगर इस तरह का इरादा नहीं है (जैसा कि नजर आ रहा है) तो सरकार को वित्त विधेयक के पार्ट-2 की पहली अनुसूची में बदलाव करना होगा और वह भी इसके कानून बनने से पहले इसे अंजाम देना होगा।

पूंजीगत लाभ पर कर चुकाने के अलावा एफपीआई को अन्य कर भी चुकाना होता है जिसमें एसटीटी व स्टांप ड्यूटी शामिल है।

सार्वजनिक शेयरधारिता : टाटा संस को मिलेंगे 57,000 करोड़ रु.

होल्डिंग कंपनी को टीसीएस में अपनी हिस्सेदारी 72 फीसदी से घटाकर 65 फीसदी पर लानी होगी

देव चटर्जी
मुंबई, 8 जुलाई

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 72.05 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली टाटा संस को अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम लागू होने के बाद अतिरिक्त 57,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं क्योंकि तब उसे अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी लानी होगी।

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी विमानन, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स उद्यम समेत विभिन्न कारोबारों में पूंजी का आवंटन अपने आंतरिक स्रोत से कर रही है और वह भी टीसीएस में अपनी संभावित हिस्सेदारी बिक्री को ध्यान में रखे बिना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश करते हुए कहा था, हमने सेबी को मौजूदा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने पर विचार करने को कहा है। अगर बजट के प्रस्ताव का क्रियान्वयन हुआ तो टाटा संस को इस नियम का पालन करने के लिए, टीसीएस की 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी होगी।

समझा जाता है कि सेबी प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी पर लाने के लिए दो से तीन साल का समय दे सकता है। सेबी इसके तौर-तरीके पर विचार कर रहा है और इस पर चर्चा पर जारी करेगा। एक वकील ने कहा, उच्च बाजार पूंजीकरण वाली टीसीएस जैसी कंपनी को इस नियम का अनुपालन करने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है।

टाटा संस को उठाने होंगे कदम

- एक वकील ने कहा, उच्च बाजार पूंजीकरण वाली टीसीएस जैसी कंपनी को इस नियम का अनुपालन करने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है
- सेबी प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी पर लाने के लिए दो से तीन साल का समय दे सकता है
- वित्त वर्ष 2018 में एकल आधार पर टाटा संस का कर्ज 27,454 करोड़ रुपये था जबकि राजस्व 28,306 करोड़ रुपये। इसका शुद्ध लाभ 873 करोड़ रुपये था।

तब तक टाटा संस अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए देसी व अंतरराष्ट्रीय बाजारों से कर्ज के जरिए रकम जुटाएगी। कंपनी को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल चुकी है और इसके तहत वह विदेशी कर्ज के तौर पर 1.5 अरब डॉलर जुटाएगी, जिसकी अवधि छह साल दो महीने की होगी।

आगामी महीने में टाटा संस की योजना अपनी दो विमानन कंपनियों विस्तारा व एयरएशिया इंडिया और वित्तीय सेवा कारोबारों में पूंजी निवेश करने की है। विस्तारा और एयरएशिया के लिए पूंजी का इतना आवंटन करना है कि दोनों विमानन कंपनियां अपने संयुक्त बेड़े का आकार अगले कुछ वर्षों में मौजूदा 50 विमानों से 200 विमानों पर पहुंचा दे।

फ्लिपकार्ट व एमेजॉन से मुकाबले के लिए, समूह अपने नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़े निवेश की योजना बना रहा है। ई-कॉमर्स कारोबार की पेशकश एक साल में हो सकती है। वित्तीय सेवा कारोबार में टाटा संस पहले ही मार्च तक 2,500 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है। टाटा कैपिटल फाइनैंशियल सर्विसेज की योजना अपने उपभोक्ता उधारी व वाहन वित्त पोषण कारोबार में निवेश के लिए 1.5 अरब डॉलर जुटाने की है।

वित्त वर्ष 2018 में एकल आधार पर टाटा संस का कर्ज 27,454 करोड़ रुपये था जबकि राजस्व 28,306 करोड़ रुपये। इसका शुद्ध लाभ 873 करोड़ रुपये था। 2017-18 के आखिर में इसका शुद्ध कर्ज 18,091 करोड़ रुपये था। कंपनी ने अपनी दूरसंचार इकाई के कर्ज का भुगतान बैंकों को किया और सरकारी बकाया भी चुकाया। इस तरह से टाटा संस ने 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया। यह जानकारी एक समाचार एजेंसी की खबर से मिली।

समूह ने संकेत दिया है कि टाटा स्टील अपना कर्ज इस वित्त वर्ष के आखिर तक मौजूदा 1 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 90,000 करोड़ रुपये पर लाएगी और अगले कुछ सालों में इसे 70,000 करोड़ रुपये पर ले आएगी। टाटा संस समूह की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है और इन कंपनियों की तरफ से राइट्स इश्यू के जरिए रकम जुटाने की योजना में हिस्सा लेने की भी टाटा संस का इरादा है।

इनविट्स में एफपीआई के लिए आसान नियम से रिलायंस, टाटा पावर को मिलेगी मदद

देव चटर्जी
मुंबई, 8 जुलाई

केंद्रीय बजट में इनविट्स और रीट्स द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों की विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा खरीदे जाने के प्रावधानों में नरमी दिए जाने से रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और वोडाफोन आइडिया द्वारा के इनविट्स एफपीआई से निवेश आकर्षित करने में समर्थ होंगे। हालांकि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनविट और रीट कानून के तहत ऋण प्रतिभूति जारी करने को मंजूरी दी थी लेकिन एफपीआई कानून के तहत तमाम पाबंदियों के कारण रकम जुटाना आसान नहीं था क्योंकि इसके तहत केवल कॉरपोरेट डिबेंचरों को अनुमति थी।

साइरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर शगुफा ऋषद खान ने कहा, 'चूंकि इनविट्स और रीट्स ट्रस्ट के जरिये जारी किए जाते हैं, इसलिए इसे एफपीआई कानून के अनुरूप बनाने और एफपीआई को इनविट एवं रीट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।'

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपनी दूरसंचार एवं फाइबर परिसंपत्तियों को दो अलग-अलग इनविट्स के तहत लाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही रिलायंस 15.4 अरब डॉलर के ऋण बोझ को अलग करने में समर्थ होगी लेकिन इसके लिए विदेशी एवं स्थानीय निवेशकों से निवेश की दरकार होगी। आरआईएल के बहीखाते से प्रेरित होकर टाटा पावर ने भी अपने बहीखाते से ऋण बोझ हो हल्का करने की योजना बनाई है। इसके लिए वह अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बहीखाते से अलग करने और 10,000 करोड़ रुपये का ऋण एक इनविट को हस्तांतरित करने की तैयारी कर रही है। मार्च 2019 के अनुसार टाटा पावर का कुल ऋण बोझ 48,500 करोड़ रुपये था। वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया भी एक इनविट के जरिये 1.2 लाख करोड़ रुपये के ऋण बोझ को अलग करने की योजना बना रही है। इस पहल से एम्बैसी ऑफिस पार्क रीट को भी मदद मिलेगी जो हाल में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुई है।

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

(CIN - L51909DL2002PLC163727)

पंजीकृत कार्यालय - 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, एसबीआई बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092.
कॉर्पोरेट कार्यालय - प्लाट नं. 862, उद्योग विहार, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-V, गुरुग्राम - 122016 (हरियाणा).
टेली: 0124-4640030; **फैक्स:** 0124-4640046; **ईमेल:** info@vmart.co.in; **वेबसाइट:** www.vmart.co.in;

17 वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान सूचना और बुक क्लोज़र की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को सुबह 9.30 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, 87-88 लोधी रोड़, लोधी गार्डन्स के निकट, नई दिल्ली – 110003 में कंपनी की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जाएगा। कंपनी ने उन सदस्यों को जिन्होंने अपने ईमेल पतों का पंजीकरण नहीं कराया है और साथ ही उन सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहाँ पूर्ण किए जाने वाले सामान्य और विशेष प्रयोजन निर्धारित करते हुए बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां भेज दी हैं, इसके साथ 31 मार्च 2019 तक की बैलेंस शीट, अनुसूचियों सहित उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण और बोर्ड निदेशकों व ऑडिटर की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट संलग्न की गई है।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 108, कंपनीज़ (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी अपने सदस्यों को दिनांक 10 मई, 2019 को एजीएम सूचना में तय सभी प्रस्तावों के लिए एजीएम ("रिमोट ई-मतदान") के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक/ई-मतदान द्वारा एजीएम में मतदान करने के उनके अधिकार की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने कर्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कर्वी) द्वारा प्रदान रिमोट ई-मतदान सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी के बोर्ड निदेशकों ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया के आयोजन हेतु संवीक्षक के रूप में व्यावसायिक कंपनी सचिव, श्री मयंक वशिष्ठ को नियुक्त किया है। ई-मतदान की अवधि मंगलवार, 30 जुलाई, 2019 (सुबह 9.00 बजे) को शुरू होगी और वीरवार, 01 अगस्त, 2019, (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी। उसके बाद कर्वी द्वारा ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर मतदान होने के बाद, शेयरधारक को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ़ तारीख अर्थात, 25 जुलाई, 2019 को सदस्यों द्वारा संघटित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ़ तारीख तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटर द्वारा कायम लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है उसे रिमोट ई-मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा। यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनके नाम 28 जून, 2019 तक सदस्य के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं। ऐसे सदस्य जिन्होंने वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त किए हैं और कट-ऑफ़ तारीख अर्थात, 25 जुलाई, 2019 तक शेयर संघटित किए हुए हैं, वे e-voting@karvy.com पर अनुरोध भेज कर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे सदस्य जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, कंपनी की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान पूर्वक एजीएम सूचना में मुद्रित रिमोट ई-मतदान से संबंधित निर्देशों को पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी प्रश्न/चिंता/शिकायत के मामले में, सदस्य अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टेलीफोन नं. 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर कर्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं या evoting@karvy.com पर ईमेल कर सकते हैं।

एजीएम में आयोजित की जाने वाली कारोबार की वस्तुओं से संबंधित दस्तावेज़ कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों (शनिवार के सिवाय) पर सामान्य व्यवसाय घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर निरीक्षण के लिए खुले हैं।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, वार्षिक सामान्य बैठक के संदर्भ में और आगामी एजीएम में स्वीकृत किए जाने की स्थिति में लाभांश के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 से सोमवार, 05 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश पर वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के लिए
अधोहस्ताक्षारित – मेघा टंडन (कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: A35532

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 08-07-2019

भारत में भी इक्विटी कारोबार बंद करेगा डॉयचे बैंक

हालांकि बैंक की भारतीय इकाई के प्रवक्ता ने कहा, टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी

समी मोडक
मुंबई, 8 जुलाई

डॉयचे बैंक की देसी निवेश बैंकिंग व इक्विटी ट्रेडिंग इकाई डॉयचे इक्विटीज इंडिया (डीईआईपीएल) अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। सूत्रों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार से बाहर निकलने की जर्मनी मुख्यालय वाली मूल कंपनी के फैसले के बाद डीईआईपीएल अपने भारतीय परिचालन पर विराम लगाने की प्रक्रिया में है और इसके लिए पोजीशन की बिकवाली की प्रक्रिया में है।

रविवार को डॉयचे बैंक ने अपने कारोबार में अहम बदलाव की घोषणा की थी, जिसमें नुकसान वाले इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार को बंद करना, नए बैड बैंक की स्थापना और 18,000 नौकरियों में कटौती शामिल है।

सूत्रों ने कहा कि डीईआईपीएल में करीब 35 लोग काम करते हैं और इन सभी की नौकरियां जा सकती हैं। एक सवाल के जवाब में डॉयचे बैंक के प्रवक्ता ने कहा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह से वैश्विक घोषणा का देसी परिचालन पर असर होगा।

प्रवक्ता ने एक ईमेल के जवाब में कहा, किसी विशिष्ट मसले पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हम अपने कर्मचारियों से उनकी नौकरियों और उनके लिए उपलब्ध विकल्पों पर सीधे बात कर रहे हैं। हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस तरह से फैसले का लोगों के जीवन पर गंभीर असर होता है। इसी वजह से इन बदलावों के क्रियान्वयन के समय हम यथासंभव जिम्मेदारी व संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे।

डॉयचे बैंक की भारतीय इकाई डीईआईपीएल में करीब 35 लोग काम करते हैं और इन सभी की नौकरियां जा सकती हैं

जहां तक भारतीय बाजार का प्रश्न है, डीईआईपीएल की मौजूदगी निवेश बैंकिंग कारोबार में बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार में उसकी खासी मौजूदगी है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बदले शेयरों का कारोबार करती है।

इस साल डॉयचे इक्विटीज प्राथमिक बाजार में सिर्फ एक सौदे का हिस्सा रही है, जो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट का 3,800 करोड़ रुपये का आईपीओ है।

एक सूत्र ने कहा, डीईआईपीएल ने इक्विटी में नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। वह एफपीआई व पार्टिसिपेटरी नोट्स के मौजूदा पोजीशन की बिकवाली की प्रक्रिया में है, जिसमें क्लाइंटों ने निवेश किए हैं।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि कुछ साल पहले तक डीईआईपीएल का इक्विटी रिसर्च कारोबार सबसे अच्छे कारोबारों में था। पिछले साल डीईआईपीएल के शोध प्रमुख अभय लैजावाला ने कंपनी के साथ 10 साल बिताने के बाद अप्रत्याशित तौर पर इस्तीफा दे दिया। डॉयचे इक्विटीज इंडिया के प्रमुख अभी प्रतीक गुप्ता हैं।

डॉयचे बैंक की घोषणा इसके समकक्ष बार्कलेज व स्टैंडर्ड चार्टर्ड आदि की तरफ से उठाए गए कदम के बाद देखने हुई है।

साल 2016 में बार्कलेज ने लागत घटाने के लिए भारतीय इक्विटी कारोबार बंद कर दिया था। इससे पहले साल 2015 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज व निवेश बैंकिंग कारोबार बंद किए जाने से बाजार को आश्चर्य हुआ था।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि वैश्विक बैंकों के लिए इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार कभी भी बड़ी कमाई का साधन नहीं रहा है। हालांकि निवेश बैंकों के लिए यह अहम कारोबारी परिचालन रहा है क्योंकि वह दुनिया भर के क्लाइंटों को किसी भी इक्विटी बाजार तक पहुंच मुहैया कराता है।

सी. शिवशंकरन की कंपनी की दिवालिया कार्यवाही का आदेश

बीएस संवाददाता
चेन्नई, 8 जुलाई

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के विशेष चेन्नई पीठ ने कारोबारी सी शिवशंकरन शिवा इंडस्ट्रीज ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। कंपनी के खिलाफ आईडीबीआई बैंक ने याचिका दाखिल की थी। शिवा वेंचर्स लिमिटेड ने बैंक से कर्ज लिया था, जिसका विलय 1 अप्रैल 2011 को शिवा इंडस्ट्रीज ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ हो गया था।

आईडीबीआई बैंक ने ट्रिब्यूनल से इस आधार पर शिवा इंडस्ट्रीज के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था क्योंकि कंपनी ने 31 दिसंबर 2018 को 130 करोड़ रुपये के भुगतान पर डिफॉल्ट किया। इसके अलावा कंपनी रुद्र पीटीई लिमिटेड को जारी कर्ज पर गारंटर की भूमिका निभाने में भी नाकाम रही जबकि कंपनी ने 1 अक्टूबर 2018 को 79.45 करोड़ रुपये के भुगतान पर डिफॉल्ट किया। शिवा वेंचर्स ने 17 सितंबर 2010 को आईडीबीआई बैंक से फंडिंग के लिए संपर्क किया और बैंक ने यह जारी किया।

एआईएफ निवेशकों पर उच्च कर का प्रस्ताव

मगर जो रकम निकाल चुके उनका कर कौन चुकाएगा

ऐश्ली कुटिन्हो और सचिन मामबटा
मुंबई, 8 जुलाई

अमीरों के बीच विपणन वाले जटिल निवेश फंडों को अब ज्यादा कर चुकाना होगा। विशेषज्ञों ने कहा कि इस साल के बजट में शामिल नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे, लेकिन यह अस्पष्ट है कि उच्च कर का भार उन निवेशकों के मामले में कौन उठाएगा जो बजट की घोषणा से पहले अपना निवेश निकाल चुके हैं।

इस साल पेश आम बजट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए अधिभार में बढ़ोतरी का जिक्र है। कई वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) की संरचना एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की तरह है, जिसका मतलब यह हुआ कि उन्हें भी ज्यादा कर चुकाना होगा। ऐसी ही संरचना वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर पड़ने वाले असर के चलते एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स आज 792.82 अंक टूट गया। बेंचमार्क सूचकांक सोमवार को 2.01 फीसदी टूटकर 38,720.57 अंक पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की तरह एआईएफ की तीसरी श्रेणी पर भी यह लागू हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर कर की दर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगी।

ईवाई के पार्टनर सुब्रमण्यम कृष्णन ने कहा, अधिभार में बढ़ोतरी से निवेशकों के शुद्ध रिटर्न पर असर पड़ेगा क्योंकि फंड का एनएवी उच्च कर के चलते प्रभावित होगा। लंबी व अल्पावधि वाले फंड निवेशकों के बीच अपना आकर्षण खो सकते हैं क्योंकि निवेशकों के लिए सवाल यह है कि क्या उन्हें अन्य निवेश योजनाओं में बेहतरी मिलेगी जो इसके समान या बेहतर रिटर्न देते हैं।

एवेंडस कैपिटल मार्केट्स के उप-मुख्य कार्याधिकारी वैभव सांघवी ने तीसरी श्रेणी के वैकल्पिक निवेश फंड का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फंड पहले से ही कर के लिहाज से अलाभ की स्थिति में हैं और यह निवेशकों के रिटर्न के लिहाज से और प्रभाव डालेगा।

उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसके निहितार्थ पर विचार करेगी और इसका समाधान निकालेगी।

कर विशेषज्ञों ने कहा कि ये नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि उस तारीख के बाद और बजट घोषणा से पहले इससे निवेश निकासी करने वाले निवेशकों के कर पर संदेह के बादल हैं।

डेलॉयट हस्किंस ऐंड सेल्स के पार्टनर राजेश एच गांधी ने कहा, यह उन निवेशकों पर सवालिया निशान लगा सकता है जो वित्त वर्ष शुरू होने के बाद और बजट घोषणा से पहले निवेश निकाल चुके हैं। ऐसे निवेशकों से अतिरिक्त ककर की वसूली चुनौतीपूर्ण होगी।

उन्होंने कहा, अगर निवेशक पहले सही निकल चुके हैं तो वे इसकी रिकवरी आसानी से नहीं कर सकते। वैकल्पिक निवेश फंड तीसरी श्रेणी में मार्च 2019 तक 30,801.8 करोड़ रुपये का निवेश था। यह मार्च 2015 के 1,528 करोड़ रुपये के मुकाबले 20 गुने से ज्यादा है।

एफपीआई अधिभार पर स्पष्टीकरण जल्द

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 8 जुलाई

भारत सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर अधिभार में बढ़ोतरी पर उनकी चिंता दूर कर सकती है और इस मसले पर जल्द स्पष्टीकरण जारी कर सकती है क्योंकि समझा जाता है कि इस कदम से म्युचुअल फंडों और पेंशन फंडों के जरिए होने वाले लंबी अवधि के निवेश पर असर पड़ सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली में एसोचैम के एक कार्यक्रम के बाद आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने कहा, यह मामला हमारे सामने लाया गया है। हम जल्द इस पर स्पष्टीकरण जारी करेंगे।

पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई उद्योग निकायों मसलन ऐसेट मैनेजर्स राउंडटेबल ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय व सरकार के अन्य विभागों के पास अधिभार से छूट के लिए लॉबीइंग कर रहा है।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा, अगर सरकार एफपीआई को अधिभार से छूट देना चाहेगी तो उसे वित्त विधेयक में इस बाबत बदलाव करना होगा, साथ ही इसके कानून बनने से पहले पार्ट-2 की पहली अनुसूची में भी बदलाव करना होगा।

एक साल में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय अर्जित करने वाले फंड और जिसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) या ट्रस्ट के तौर पर संरचित किया गया है उस पर कर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगी। साथ ही 2 से 5 करोड़ रुपये के बीच आय अर्जित करने वाले फंडों पर कर की दर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगी।

कर की उच्च दर गैर-कॉरपोरेट एफपीआई व फंडों पर लागू होगी। करीब 50 फीसदी एफपीआई गैर-कॉरपोरेट के तौर पर पंजीकृत है। अधिभार में बढ़ोतरी से काफी एफपीआई प्रभावित होंगे क्योंकि वे ट्रस्टों या एओपी के तौर पर संरचित किए गए हैं। ऐसे ढांचे न्यूनतम वैकल्पिक कर को टालने के लिए अपनाए गए हैं।

बजट में 2 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये की आय पर अधिभार मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ रुपये से ऊपर की आय पर 15 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी करने का प्रस्ताव है।

एफपीआई की तरफ से चुकाए जाने वाले लंबी अवधि व अल्पावधि के पूंजीगत लाभ कर में बढ़ोतरी होगी। लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर पर प्रभावी दरें 14.25 फीसदी होगी, जो अभी 11.96 फीसदी है। अल्पावधि वाले पूंजीगत लाभ कर की दर मौजूदा 17.94 फीसदी से बढ़कर 21.37 फीसदी हो जाएगी।

ईवाई के पार्टनर (कर व नियामकीय सेवाएं) तेजस देसाई ने कहा, अभी भी कॉरपोरेट व गैर-कॉरपोरेट के बीच अधिभार में अंतर है। चूंकि अधिभार का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं थी, लिहाजा यह चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अधिभार की दर 25 फीसदी व 37 फीसदी होने से अब यह परेशान करना शुरू कर दिया है।

देसाई ने कहा, वास्तव में कई विदेशी एमएफ व पेंशन फंड (जो अपने देश के छोटे निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबी अवधि की पूंजी निवेश करते हैं) गैर-कॉरपोरेट की तरह संगठित हैं और उच्च अधिभार से वह प्रभावित होंगे। अगर इस तरह का इरादा नहीं है (जैसा कि नजर आ रहा है) तो सरकार को वित्त विधेयक के पार्ट-2 की पहली अनुसूची में बदलाव करना होगा और वह भी इसके कानून बनने से पहले इसे अंजाम देना होगा।

पूंजीगत लाभ पर कर चुकाने के अलावा एफपीआई को अन्य कर भी चुकाना होता है जिसमें एसटीटी व स्टांप ड्यूटी शामिल है।

बढ़े अधिभार से चिंतित हैं एफपीआई

- बढ़े अधिभार से एफपीआई को छूट दिलाने के लिए उद्योग निकाय मंत्रालय के पास लॉबीइंग कर रहा है
- सोमवार को सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि बोर्ड कर अधिभार एफपीआई की चिंता पर नजर डाल रहा है
- 5 करोड़ रुपये से ज्यादा आय अर्जित करने वाले फंडों पर कर मौजूदा 35.8 फीसदी से बढ़कर 42.7 फीसदी हो जाएगा
- 2 से 5 करोड़ रुपये तक आय अर्जित करने वाले फंडों को 39 फीसदी की दर से कर देना होगा
- बढ़े अधिभार से एफपीआई हुए प्रभावित क्योंकि उन्हें ट्रस्ट या एओपी के तौर पर संरचित किया गया है
- लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर अब 14.25 फीसदी है
- अल्पावधि के पूंजीगत लाभ पर अब कर 21.37 फीसदी है

सार्वजनिक शेयरधारिता : टाटा संस को मिलेंगे 57,000 करोड़ रु.

होल्डिंग कंपनी को टीसीएस में अपनी हिस्सेदारी 72 फीसदी से घटाकर 65 फीसदी पर लानी होगी

देव चटर्जी
मुंबई, 8 जुलाई

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 72.05 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली टाटा संस को अनिवार्य न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम लागू होने के बाद अतिरिक्त 57,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं क्योंकि तब उसे अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी लानी होगी।

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी विमानन, वित्तीय सेवाओं और ई-कॉमर्स उद्यम समेत विभिन्न कारोबारों में पूंजी का आवंटन अपने आंतरिक स्रोत से कर रही है और वह भी टीसीएस में अपनी संभावित हिस्सेदारी बिक्री को ध्यान में रखे बिना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश करते हुए कहा था, हमने सेबी को मौजूदा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने पर विचार करने को कहा है। अगर बजट के प्रस्ताव का क्रियान्वयन हुआ तो टाटा संस को इस नियम का पालन करने के लिए टीसीएस की 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचनी होगी।

समझा जाता है कि सेबी प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी पर लाने के लिए दो से तीन साल का समय दे सकता है। सेबी इसके तौर-तरीके पर विचार कर रहा है और इस पर चर्चा पत्र जारी करेगा। एक वकील ने कहा, उच्च बाजार पूंजीकरण वाली टीसीएस जैसी कंपनी को इस नियम का अनुपालन करने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है।

टाटा संस को उठाने होंगे कदम

- एक वकील ने कहा, उच्च बाजार पूंजीकरण वाली टीसीएस जैसी कंपनी को इस नियम का अनुपालन करने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकता है
- सेबी प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 65 फीसदी पर लाने के लिए दो से तीन साल का समय दे सकता है
- वित्त वर्ष 2018 में एकल आधार पर टाटा संस का कर्ज 27,454 करोड़ रुपये था जबकि राजस्व 28,306 करोड़ रुपये। इसका शुद्ध लाभ 873 करोड़ रुपये था।

तब तक टाटा संस अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए देसी व अंतराष्ट्रीय बाजारों से कर्ज के जरिए रकम जुटाएगी। कंपनी को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल चुकी है और इसके तहत वह विदेशी कर्ज के तौर पर 1.5 अरब डॉलर जुटाएगी, जिसकी अवधि छह साल दो महीने की होगी।

आगामी महीने में टाटा संस की योजना अपनी दो विमानन कंपनियों विस्तारा व एयरएशिया इंडिया और वित्तीय सेवा कारोबारों में पूंजी निवेश करने की है। विस्तारा और एयरएशिया के लिए पूंजी का इतना आवंटन करना है कि दोनों विमानन कंपनियां अपने संयुक्त बेड़े का आकार अगले कुछ वर्षों में मौजूदा 50 विमानों से 200 विमानों पर पहुंचा दे।

फ्लिपकार्ट व एमेजॉन से मुकाबले के लिए समूह अपने नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़े निवेश की योजना बना रहा है। ई-कॉमर्स कारोबार की पेशकश एक साल में हो सकती है। वित्तीय सेवा कारोबार में टाटा संस पहले ही मार्च तक 2,500 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है। टाटा कैपिटल फाइनैंशियल सर्विसेज की योजना अपने उपभोक्ता उधारी व वाहन वित्त पोषण कारोबार में निवेश के लिए 1.5 अरब डॉलर जुटाने की है।

वित्त वर्ष 2018 में एकल आधार पर टाटा संस का कर्ज 27,454 करोड़ रुपये था जबकि राजस्व 28,306 करोड़ रुपये। इसका शुद्ध लाभ 873 करोड़ रुपये था। 2017-18 के आखिर में इसका शुद्ध कर्ज 18,091 करोड़ रुपये था। कंपनी ने अपनी दूरसंचार इकाई के कर्ज का भुगतान बैंकों को किया और सरकारी बकाया भी चुकाया। इस तरह से टाटा संस ने 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया। यह जानकारी एक समाचार एजेंसी की खबर से मिली।

समूह ने संकेत दिया है कि टाटा स्टील अपना कर्ज इस वित्त वर्ष के आखिर तक मौजूदा 1 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 90,000 करोड़ रुपये पर लाएगी और अगले कुछ सालों में इसे 70,000 करोड़ रुपये पर ले आएगी। टाटा संस समूह की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है और इन कंपनियों की तरफ से राइट्स इश्यू के जरिए रकम जुटाने की योजना में हिस्सा लेने की भी टाटा संस का इरादा है।

इनविट्स में एफपीआई के लिए आसान नियम से रिलायंस, टाटा पावर को मिलेगी मदद

देव चटर्जी
मुंबई, 8 जुलाई

केंद्रीय बजट में इनविट्स और रीट्स द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों की विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा खरीदे जाने के प्रावधानों में नरमी दिए जाने से रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और वोडाफोन आइडिया द्वारा के इनविट्स एफपीआई से निवेश आकर्षित करने में समर्थ होंगे। हालांकि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इनविट और रीट कानून के तहत ऋण प्रतिभूति जारी करने को मंजूरी दी थी लेकिन एफपीआई कानून के तहत तमाम पाबंदियों के कारण रकम जुटाना आसान नहीं था क्योंकि इसके तहत केवल कॉरपोरेट डिबेंचरों को अनुमति थी।

साइरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर शगूफा ऋषद खान ने कहा, 'चूंकि इनविट्स और रीट्स ट्रस्ट के जरिये जारी किए जाते हैं, इसलिए इसे एफपीआई कानून के अनुरूप बनाने और एफपीआई को इनविट एवं रीट्स द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।'

रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपनी दूरसंचार एवं फाइबर परिसंपत्तियों को दो अलग-अलग इनविट्स के तहत लाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही रिलायंस 15.4 अरब डॉलर के ऋण बोझ को अलग करने में समर्थ होगी लेकिन इसके लिए विदेशी एवं स्थानीय निवेशकों से निवेश की दरकार होगी। आरआईएल के बहीखाते से प्रेरित होकर टाटा पावर ने भी अपने बहीखाते से ऋण बोझ हो हल्का करने की योजना बनाई है। इसके लिए वह अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बहीखाते से अलग करने और 10,000 करोड़ रुपये का ऋण एक इनविट को हस्तांतरित करने की तैयारी कर रही है। मार्च 2019 के अनुसार टाटा पावर का कुल ऋण बोझ 48,500 करोड़ रुपये था। वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया भी एक इनविट के जरिये 1.2 लाख करोड़ रुपये के ऋण बोझ को अलग करने की योजना बना रही है। इस पहल से एम्बैसी ऑफिस पार्क रीट को भी मदद मिलेगी जो हाल में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हुई है।

भारत में भी इक्विटी कारोबार बंद करेगा डॉयचे बैंक

हालांकि बैंक की भारतीय इकाई के प्रवक्ता ने कहा, टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी

समी मोडक
मुंबई, 8 जुलाई

डॉयचे बैंक की देसी निवेश बैंकिंग व इक्विटी ट्रेडिंग इकाई डॉयचे इक्विटीज इंडिया (डीईआईपीएल) अनिश्चित भविष्य का सामना कर रही है। सूत्रों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार से बाहर निकलने की जर्मनी मुख्यालय वाली मूल कंपनी के फैसले के बाद डीईआईपीएल अपने भारतीय परिचालन पर विराम लगाने की प्रक्रिया में है और इसके लिए पोजीशन की बिकवाली की प्रक्रिया में है।

रविवार को डॉयचे बैंक ने अपने कारोबार में अहम बदलाव की घोषणा की थी, जिसमें नुकसान वाले इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार को बंद करना, नए बैड बैंक की स्थापना और 18,000 नौकरियों में कटौती शामिल है।

सूत्रों ने कहा कि डीईआईपीएल में करीब 35 लोग काम करते हैं और इन सभी की नौकरियां जा सकती हैं। एक सवाल के जवाब में डॉयचे बैंक के प्रवक्ता ने कहा, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरह से वैश्विक घोषणा का देसी परिचालन पर असर होगा।

प्रवक्ता ने एक ईमेल के जवाब में कहा, किसी विशिष्ट मसले पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हम अपने कर्मचारियों से उनकी नौकरियों और उनके लिए उपलब्ध विकल्पों पर सीधे बात कर रहे हैं। हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस तरह से फैसले का लोगों के जीवन पर गंभीर असर होता है। इसी वजह से इन बदलावों के क्रियान्वयन के समय हम यथासंभव जिम्मेदारी व संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे।

डॉयचे बैंक की भारतीय इकाई डीईआईपीएल में करीब 35 लोग काम करते हैं और इन सभी की नौकरियां जा सकती हैं

जहां तक भारतीय बाजार का प्रश्न है, डीईआईपीएल की मौजूदगी निवेश बैंकिंग कारोबार में बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार में उसकी खासी मौजूदगी है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बदले शेयरों का कारोबार करती है।

इस साल डॉयचे इक्विटीज प्राथमिक बाजार में सिर्फ एक सौदे का हिस्सा रही है, जो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट का 3,800 करोड़ रुपये का आईपीओ है।

एक सूत्र ने कहा, डीईआईपीएल ने इक्विटी में नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। वह एफपीआई व पार्टिसिपेटरी नोट्स के मौजूदा पोजीशन की बिकवाली की प्रक्रिया में है, जिसमें क्लाइंटों ने निवेश किए हैं।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि कुछ साल पहले तक डीईआईपीएल का इक्विटी रिसर्च कारोबार सबसे अच्छे कारोबारों में था। पिछले साल डीईआईपीएल के शोध प्रमुख अभय लैजावाला ने कंपनी के साथ 10 साल बिताने के बाद अप्रत्याशित तौर पर इस्तीफा दे दिया। डॉयचे इक्विटीज इंडिया के प्रमुख अभी प्रतीक गुप्ता हैं।

डॉयचे बैंक की घोषणा इसके समकक्ष बार्कलेज व स्टैंडर्ड चार्टर्ड आदि की तरफ से उठाए गए कदम के बाद देखने हुई है।

साल 2016 में बार्कलेज ने लागत घटाने के लिए भारतीय इक्विटी कारोबार बंद कर दिया था। इससे पहले साल 2015 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज व निवेश बैंकिंग कारोबार बंद किए जाने से बाजार को आश्चर्य हुआ था।

उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि वैश्विक बैंकों के लिए इक्विटी ट्रेडिंग कारोबार कभी भी बड़ी कमाई का साधन नहीं रहा है। हालांकि निवेश बैंकों के लिए यह अहम कारोबारी परिचालन रहा है क्योंकि वह दुनिया भर के क्लाइंटों को किसी भी इक्विटी बाजार तक पहुंच मुहैया कराता है।

सी. शिवशंकरन की कंपनी की दिवालिया कार्यवाही का आदेश

बीएस संवाददाता
चेन्नई, 8 जुलाई

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के विशेष चेन्नई पीठ ने कारोबारी सी शिवशंकरन शिवा इंडस्ट्रीज ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। कंपनी के खिलाफ आईडीबीआई बैंक ने याचिका दाखिल की थी। शिवा वेंचर्स लिमिटेड ने बैंक से कर्ज लिया था, जिसका विलय 1 अप्रैल 2011 को शिवा इंडस्ट्रीज ऐंड होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ हो गया था।

आईडीबीआई बैंक ने ट्रिब्यूनल से इस आधार पर शिवा इंडस्ट्रीज के खिलाफ कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था क्योंकि कंपनी ने 31 दिसंबर 2018 को 130 करोड़ रुपये के भुगतान पर डिफॉल्ट किया। इसके अलावा कंपनी रुद्र पीटीई लिमिटेड को जारी कर्ज पर गारंटर की भूमिका निभाने में भी नाकाम रही जबकि कंपनी ने 1 अक्टूबर 2018 को 79.45 करोड़ रुपये के भुगतान पर डिफॉल्ट किया। शिवा वेंचर्स ने 17 सितंबर 2010 को आईडीबीआई बैंक से फंडिंग के लिए संपर्क किया और बैंक ने यह जारी किया।

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड

V MART

(CIN - L51909DL2002PLC163727)

पंजीकृत कार्यालय - 610-611, गुरु राम दास नगर, मेन मार्केट, एसबीआई बैंक के सामने, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092.
कॉर्पोरेट कार्यालय - प्लाट नं. 862, उद्योग विहार, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-V, गुरुग्राम - 122016 (हरियाणा).
टेली: 0124-4640030; **फैक्स:** 0124-4640046; **ईमेल:** info@vmart.co.in; **वेबसाइट:** www.vmart.co.in;

17 वीं वार्षिक आम बैठक, ई-मतदान सूचना और बुक क्लोज़र की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 को सुबह 9.30 बजे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, 87-88 लोधी रोड़, लोधी गार्डन्स के निकट, नई दिल्ली – 110003 में कंपनी की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया जाएगा। कंपनी ने उन सदस्यों को जिन्होंने अपने ईमेल पतों का पंजीकरण नहीं कराया है और साथ ही उन सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहाँ पूर्ण किए जाने वाले सामान्य और विशेष प्रयोजन निर्धारित करते हुए बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां भेज दी हैं, इसके साथ 31 मार्च 2019 तक की बैलेंस शीट, अनुसूचियों सहित उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण और बोर्ड निदेशकों व ऑडिटर की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट संलग्न की गई है।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 108, कंपनीज़ (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी अपने सदस्यों को दिनांक 10 मई, 2019 को एजीएम सूचना में तय सभी प्रस्तावों के लिए एजीएम ("रिमोट ई-मतदान") के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक/ई-मतदान द्वारा एजीएम में मतदान करने के उनके अधिकार की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने कर्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कर्वी) द्वारा प्रदान रिमोट ई-मतदान सेवाओं का लाभ उठाया है। कंपनी के बोर्ड निदेशकों ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया के आयोजन हेतु संवीक्षक के रूप में व्यावसायिक कंपनी सचिव, श्री मयंक वशिष्ठ को नियुक्त किया है। ई-मतदान की अवधि मंगलवार, 30 जुलाई, 2019 (सुबह 9.00 बजे) को शुरु होगी और वीरवार, 01 अगस्त, 2019, (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी। उसके बाद कर्वी द्वारा ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर मतदान होने के बाद, शेयरधारक को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ़ तारीख अर्थात, 25 जुलाई, 2019 को सदस्यों द्वारा संघटित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ़ तारीख तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटर द्वारा कायम लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है उसे रिमोट ई-मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के साथ-साथ वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा। यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनके नाम 28 जून, 2019 तक सदस्य के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं। ऐसे सदस्य जिन्होंने वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त किए हैं और कट-ऑफ़ तारीख अर्थात, 25 जुलाई, 2019 तक शेयर संघटित किए हुए हैं, वे e-voting@karvy.com पर अनुरोध भेज कर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे सदस्य जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, कंपनी की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान पूर्वक एजीएम सूचना में मुद्रित रिमोट ई-मतदान से संबंधित निर्देशों को पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी प्रश्न/चिंता/शिकायत के मामले में, सदस्य अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टेलीफोन नं. 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर कर्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं या evoting@karvy.com पर ईमेल कर सकते हैं।

एजीएम में आयोजित की जाने वाली कारोबार की वस्तुओं से संबंधित दस्तावेज़ कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों (शनिवार के सिवाय) पर सामान्य व्यवसाय घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर निरीक्षण के लिए खुले हैं।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दायित्वों की सूची और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, वार्षिक सामान्य बैठक के संदर्भ में और आगामी एजीएम में स्वीकृत किए जाने की स्थिति में लाभांश के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 से सोमवार, 05 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश पर वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड के लिए
अधोहस्ताक्षारित – मेघा टंडन (कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: A35532

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 08-07-2019

Off-Budget borrowings fall a statistical illusion

INDIVJAL DHASMANA
New Delhi, 8 July

It would seem at first glance that Finance Minister Nirmala Sitharaman in her Budget has drastically reduced off-Budget financing for government spending — by almost 13 per cent — over what was given in the Revised Estimates (RE) of 2018-19.

Internal and extra budgetary resources (IEBR) have been pegged at ₹5.37 trillion for FY20 in the Budget Estimates (BE) against ₹6.13 trillion in the RE for FY19. However, the Budget document itself says the numbers should be interpreted with caution.

In 2018-19, ₹97,000 crore was provided to Food Corporation of India through loans from the National Social Security Fund (NSSF).

"For the sake of comparison with BE 2019-20, an amount of ₹97,000 crore of NSSF loans to FCI should be excluded in RE 2018-19," said a footnote given in the final Budget documents for 2019-20.

If ₹97,000 crore is taken out, the IBER of 2018-19 in the RE come to just ₹5.16 trillion (₹6.13 trillion minus ₹97,000 crore).

Compared to that, the IBER given for FY20 at ₹5.37 trillion were 4.3 per cent higher.

The NSSF loan to FCI also becomes clear if one looks at the subsidy of the government.

Aditi Nayar, principal economist at ICRA Ratings, said the subsidy outlay for the Department of Food and Public Distribution stood at ₹1 trillion in FY19, which is 60.2 per cent of the RE of the year.

Time and again, the government has drawn flak for allegedly hiding its fiscal deficit by resorting to off-Budget borrowings.

In its recent report, the Controller and Auditor General (CAG) said: "Resorting to off-budget financing for revenues and capital spending seems to be an easy way out because while such financial jugglery (has) fiscal implications (and) they do not form part of the calculation of fiscal indicators like fiscal deficit."

Gross budgetary support, on the other hand, rose by around 7 per cent at ₹3.38 trillion in the BE of FY20 over ₹3.17 trillion in FY19 (RE).

A note by ICRA says budgetary support to the Railways increased by 24.6 per cent to ₹64,587 crore in the BE of FY20, while that for the National Highways Authority of India (NHAI) was marginally lowered to ₹36,691 crore over the RE of FY19. The NHAI is expected to raise equity by monetising more assets through toll-operate-transfer and Infrastructure Investment Trust routes (by transferring mature assets to special purpose vehicles), says the note.

Therefore, monetising mature road assets in a timely manner is important to get money to support the Bharatmala programme. If it fails, the shortfall has to be met through additional borrowings, increasing the debt of the NHAI further, the note says.

INTERNAL AND EXTRA BUDGETARY RESOURCES (IEBR)

	IEBR	IEBR of Railways	IEBR (excluding Railways)
2017-18 (₹ cr)	**610,686**	58,568	552,118
2018-19 (RE) (₹ cr)	**612,614**	85,798	526,816
% growth in 2018-19 y-o-y	**0.31**	46.49	-4.60
2019-20 (i) (₹ cr)	**617,441**	94,071	523,370
% growth in 2019-20 (i) y-o-y	**0.78**	9.60	-0.65
2019-20 (BE) (₹ cr)	**537,639**	94,071	443,568
% growth in 2019-20 BE over RE of previous year	**-12.28**	9.60	-15.80
% growth in BE of 2019-20 over BE of iBudget	**-12.92**	0	-15.25

RE: Revised Estimate; **BE:** Budget Estimate; **i:** Interim Budget Source: Budget papers

NIIF set to make highway debut with ₹15,000 crore

MEGHA MANCHANDA
New Delhi, 8 July

In a major greenfield investment, the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) would be investing ₹15,000 crore in equity for the marquee Delhi-Mumbai expressway project.

This equity investment would be leveraged to raise close to ₹50,000-crore debt.

The total project cost is approximately ₹70,000 crore and the entire construction risk would be borne by the National Highways Authority of

India (NHAI). This arrangement essentially means that the ownership of the project that is planned along the lines of new alignments would be with the NIIF.

It is learnt that foreign sovereign funds are willing to co-invest with the NIIF in road projects. At present, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) is a partner with NIIF, which was formed by the Indian government as a private entity.

The Union ministry of road transport and highways would have to seek Cabinet approval for the arrangement. Details like toll collection on the expressway and to whom the proceeds would go to are still being worked out.

The NHAI signed a memorandum of understanding with NIIF for the investment on Monday.

The proposed Delhi-Mumbai expressway would also be connected to the industrial city of Indore and an arm of the erstwhile Golden Quadrilateral.

The partnership would be through formation of a special purpose vehicle. The model would be a funding arrangement for other large-sized road projects, to be executed by NHAI in future.

Union road minister Nitin Gadkari said, "NHAI is raising finances for its mega projects, and is not dependent only upon budgetary support. Several funding models were adopted in the past towards this, which have yielded good results."

This arrangement of innovative alternative sources of funding is being looked into by NHAI to attract international investors and fund houses that are willing to invest in road projects in India. But they are not very keen on taking risk related to the project execution.

Won't budge on 5G spectrum pricing, says Trai

MEGHA MANCHANDA
New Delhi, 8 July

The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) on Monday reiterated its recommendation on spectrum pricing in the upcoming auctions. In response to the Digital Communications Commission (DCC), the regulator said it had considered all the relevant factors, including methodology, assumptions, and developments in the telecom sector before giving its views.

Last month, the DCC had asked Trai to reconsider its spectrum recommendations amid financial stress in the sector and to also ensure competition and greater participation of a larger set of players in the upcoming auctions.

It had said that the demand for spectrum is likely to be subdued due to consolidation in the market, given there are effectively three private telecom service providers.

In its detailed response to the telecom department on Monday, Trai said it had considered all the relevant factors, including methodology, assumptions, developments between the spectrum auction in 2016 and its suggestions on August 1, 2018, and the rationale for spectrum valuation and reserve price while giving its recommendations.

"In view of the above, the authority reiterates the spectrum valuation and reserves prices as contained in its recommendations dated August 1, 2018," said Trai.

On the issue of putting the entire available spectrum on auction, the authority said, "In case, spectrum in those bands — whose validity is expiring by December 31, 2021 — becomes available earlier due to any reason such as surrender, cancellation, etc, such spectrum should be made available to the successful bidder immediately on its availability."

The regulator has, however, yielded ground on the issue of lock-in period it had previously recommended for spectrum in the 3,300-3,600 megahertz (MHz) band (for eligibility on spectrum trading).

The telecom regulator has now suggested a lower lock-in period of two years for this band against five years prescribed earlier.

"The authority recommends that no roll-out obligations should be mandated for spectrum in the 3,300-3,600 MHz band. Further, lock-in period for becoming eligible for spectrum trading should be the same as in other bands, i.e., two years," said Trai. Trai had recommended a pan-Indian base price of ₹492 crore per MHz for 5G radiowaves, while lowering the base price of frequencies that remained unsold in the 2016 auctions.

PUBLIC NOTICE

Regarding the lost of the fixed deposit receipt no BM/18058790 in the name of the Rajendra N Rachh The notice should give 14 days time to anyone who may find the receipt & claim Please contact HDFC LTD, Ramon House,H T Parekh Marg,169 Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai 400020

CORRIGENDUM

In Pursuance of the public Notice dated 20th March, 2019, inviting objections before transferring ownerships rights into the Room No. 13, on 1st floor, in Hasan Ali CHS ltd., by way of succession into Mr. Iqbal Fazle Husain Khambati. In the said Notice inadvertently name of applicant Mr. Iqbal Fazle Husain Khambati has not found place therefore this corrigendum to read the earlier notice dated 20th March 2019 alongwith the name of above Applicant.

For and on behalf of
Hasanali House Co-Op. Housing Society Ltd.,
Hon. Secretary
Date : 09/07/2019
Place : Mumbai

CORRIGENDUM

In Pursuance of the public Notice dated 20th March, 2019, inviting objections before transferring ownerships rights into the Shop No. 7, on Ground floor, in Hasan Ali CHS ltd., by way of succession into (1) Mr. Iqbal Fazle Husain Khambati (2) Mr. Nazmuddin Fazle Husain Khambati (3) Mr. Zoher Fazle Husain Khambati . In the said Notice inadvertently name of applicant (1) Mr. Iqbal Fazle Husain Khambati 2) Mr. Nazmuddin Fazle Husain Khambati (3) Mr. Zoher Fazle Husain Khambati has not found place therefore this corrigendum to read the earlier notice dated 20th March 2019 alongwith the name of above Applicant.

For and on behalf of
Hasanali House Co-Op. Housing Society Ltd.,
Hon. Secretary
Date : 09/07/2019
Place : Mumbai

SESHASAYEE PAPER AND BOARDS LIMITED

Regd. Office: Pallipalayam, Namakkal District
Cauvery RS PO, Erode 638 007
e-mail: investor@spbltd.com,web: www.spbltd.com
CIN : L21012TZ1960PLC000364

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 27th July 2019, to consider, inter-alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

For Seshasayee Paper and Boards Limited
V PICHAI
Deputy Managing Director & Secretary
Place : Erode 638 007
Date : 08.7.2019

EASTERN SYNPACKS LIMITED

Reg. Office Via :- Telco Works Post Office
(Near JEMCO), Jojobera,
Jamshedpur - 831004
CIN : U25202JH1992PLC004880

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to section 91(1) read with section 101(1) of the Companies Act 2013 that the Register of Members and shares transfer books of the will remain closed from 7th July,2019 to 14th July,2019 both days inclusive in connection with the Annual General Meeting of the Share Holders of the company to be held on 13th July.,2019 Saturday at 5.00 P.M at the company's Registered office at Jojobera, Jamshedpur- 831004.

Jamshedpur
06.07.2019
R. N. Sharma
Chairman

DCM SHRIRAM LTD.

Regd. Office: 1st Floor, Kanchenjunga Building,18, Barakhamba Road, New Delhi-110 001.
Tel : 011-23316801, Fax : 011-23318072
CIN No. : L74899DL1989PLC034923
E-mail : response@dcmshriram.com
Website : www.dcmshriram.com

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 23.7.2019, inter-alia, to consider Unaudited Financial Results (both Standalone and Consolidated) for the quarter ended 30.6.2019.

This notice is also available on the website of the Company, i.e., www.dcmshriram.com and stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **DCM Shriram Ltd.**
Sameet Gambhir
Company Secretary & Compliance Officer
Place : New Delhi
Date : 8.7.2019

ZEEMEDIA

ZEE MEDIA CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 14th Floor, 'A' Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013
Tel: +91 22 7105 5001 **Fax:** +91 22 2300 2107
CIN: L92100MH1999PLC121506 **Website:** www.zeenews.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Equity Shareholders of Zee Media Corporation Limited will be held at The Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018 on **Wednesday, 31st day of July, 2019 at 11.00 a.m.**

Notice of AGM along with the Annual Report comprising inter alia the Audited Financial Statements on a standalone and consolidated basis, Directors' Report & Auditor's Report for the financial year ended March 31, 2019 has been sent to the Members at their registered addresses in the permitted mode and electronically to those members who have registered their email address.

In compliance with Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide all its Shareholders, the facility to exercise their vote on all items of the Business included in the Notice of the AGM, electronically (remote E-voting) through E-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). **The remote E-voting for all items of business contained in the Notice of AGM shall commence from Monday, July 22, 2019 at 9.00 a.m. and will end on Tuesday, July 30, 2019 at 5.00 p.m.** The remote E-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. During this period, Members holding Equity shares of the Company in physical or dematerialized mode as at the **cut-off date of July 19, 2019** may cast their vote electronically.

The Company shall also make available the facility for voting at the venue of AGM by those Members who have not cast their vote by remote E-voting. Members who have cast their vote by remote E-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the cut-off date i.e. July 19, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting at the AGM.

Any person, who acquires Equity shares of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. July 19, 2019, may obtain login ID and password for E-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in.

Notice of AGM is available as part of Annual Report on the website of the Company at www.zeenews.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case of any query on remote e-voting, Members may refer to FAQs and/or e-voting user manual available on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or telephone nos. i.e. 022-24994545 or 1800-222-990 (toll-free).

For Zee Media Corporation Limited

Place: Mumbai
Date: July 8, 2019
Pushpal Sanghavi
Company Secretary

V-MART RETAIL LIMITED

V MART

(CIN - L51909DL2002PLC163727)

Regd. Off.- 610-611, Guru Ram Dass Nagar, Main Market, Opp. SBI Bank, Laxmi Nagar, New Delhi – 110092.
Corporate Off. – Plot No. 862, Udyog Vihar, Industrial Area, Phase – V, Gurgaon – 122016 (Haryana).
Tel.: 0124-4640030; Fax : 0124-4640046; **Email:** info@vmart.co.in; **Website:** www.vmart.co.in;

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 2nd August, 2019 at 9.30 A.M. at India Islamic Cultural Center, 87-88 Lodhi Road, Near Lodhi Gardens, New Delhi-110003. The Company has dispatched the physical copies of the Notice of the meeting setting out the Ordinary and Special business to be transacted thereat, together with the Balance sheet as at 31st March 2019, Statement of profit & loss for the year ended on that date including the Schedules thereto and reports of Board of Directors & Auditors, report on Corporate Governance to the members who have not registered their email address and also sent the same, through the electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote at AGM by electronic voting/e-voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting") for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 10th May, 2019. The Company has availed the remote e-voting services as provided by Karvy Fintech Private Limited (Karvy). The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mayank Vashist, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Tuesday, 30th July, 2019 (9.00 A.M) and ends on Thursday, 01st August, 2019, (5.00 P.M). The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is 25th July, 2019. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in Annual General Meeting. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on 28th June, 2019. The members who have acquired shares after the dispatch of notice of Annual General Meeting and holding shares as on cut-off date i. e. 25th July, 2019, may obtain the e-voting user id and password by sending a request at e-voting@karvy.com.

Members who have not received the Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company www.vmart.co.in

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any query /concern /grievances connected with voting by electronic means, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting user manual available at the download section of http://evoting.karvy.com or contact the Karvy Fintech Private Limited at Tel No. 1800 345 4001 (toll free) or email at-evoting@karvy.com.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours on all working days (except Saturdays) upto the date of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the July 26, 2019 to Monday, the August 05, 2019 (both days inclusive) in connection with Annual General Meeting and for the purpose of Dividend, if approved at the ensuing AGM.

By order of the Board For V-Mart Retail Ltd.
Sd/- Megha Tandon (Company Secretary)
Membership No.: A35532
Place: Gurugram
Date: 08-07-2019

GOLDCREST CORPORATION LIMITED

CIN: L7499MH1983PLC029408
Devidas Mansion, 3rd Floor, Mereweather Road, Colaba, Mumbai – 400 001
Phone: 022 – 22837489 / 90
Website: www.goldcrestgroup.com Email: office@goldcrestgroup.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016 (the "Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016.

The rules inter alia contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholder for seven consecutive years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. The Company is also sending individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address simultaneously. The Company has uploaded the relevant details as may be required of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website www.goldcrestgroup.com. Shareholders are requested to refer to the page http://www.goldcrestgroup.com/wp-content/files/List of Shareholders whoes share are to be transfered to IEPF 2011-12.pdf on the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF suspense account.

Notice is hereby given to all such shareholders to make necessary application within 30 days to the Company/RTA M/s. Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd. having its Corporate Office at 9, Shiv Shakti Industrial Estate, Sitaram Mills Compound, J.R. Boricha Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 011 Tel: 022-23018261, 23016761 Email: support@purvashare.com before August 10, 2019 claiming the unclaimed dividend for the year 2011-12 or thereafter so that the shares in respect of such unclaimed dividend are not transferred to the IEPF suspense account. Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio No, or DP ID and Client ID, 3. Name of the Shareholder, 4. Contact No. 5. Email ID. Also provide self-attested KYC documents of the shareholder Like PAN, cancelled cheque leaf & latest utility bill as address proof.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 10, 2019, the Company will be compelled to transfer the shares to the IEPF, without any further notice, by following the due process as under:

1. In case the shares are held in physical form – The Company shall issue duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by the shareholder and after issue of duplicate share certificate(s), the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer the same to IEPF Suspense account.
2. In case the shares are held in demat mode – by transfer of shares directly to demat account of IEPF i.e. IEPF Suspense account.

It may be noted that the shares transferred to IEPF, including dividend and other benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by the concerned shareholder by submitting an online application to the IEPF Authority in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in as prescribed under the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016 (the "Rules") including any modification (s) or re-enactment(s) thereof .

For **GOLDCREST CORPORATION LIMITED**
S/d
MARISA FERREIRA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD.

Regd. Office: Ocean House, 134-A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018
CIN: L35110MH1948PLC006472
Tel. No.: +91 (22) 66613000; **Fax No.:** +91 (22) 24925900

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (collectively referred to as "the Rules").

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF).

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred on or after September 08, 2019 to IEPF under the aforesaid Rules for taking appropriate action(s).

The Company has uploaded full details of such shareholders (names, folio No./DP ID/Client ID) and shares due for transfer to IEPF on its website at www.greatship.com. Shareholders are requested to verify the details of unpaid/unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

The equity shares held in demat form are also liable to be transferred to the IEPF by the Company by way of corporate action.

Shareholders may note that the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

In the event the Company does not receive valid claim from the concerned shareholder(s) by September 08, 2019, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, proceed to transfer the shares to IEPF by way of corporate action on or after the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the concerned shareholder(s) have any queries on the subject matter or need any assistance, please contact:

The Great Eastern Shipping Co. Ltd.	Karvy Fintech Pvt. Ltd.
Share Department Ocean House, 134-A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018 **Tel:** 022-6661 3000 / 2492 2100 **Fax:** 022-2492 5900 **E-mail:** shares@greatship.com	**Unit:** The Great Eastern Shipping Co. Ltd. Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 **Tel:** +91 40 6716 2222 **Fax:** +91 40 2342 0814 **Email:** greatship.ris@karvy.com

This notice is available on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com), the National Stock Exchange (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.greatship.com).

For **The Great Eastern Shipping Co. Ltd.**
Sd/-
Jayesh M. Trivedi
President (Secl. & Legal) & Company Secretary
Email: shares@greatship.com
Web: www.greatship.com
Place : Mumbai
Date : July 08, 2019